UPME010091782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2634/2026</u>

1. पिन्टू उर्फ प्रमोद
2. कुलदीप पुत्रगण जगवीर, निवासीगण ग्राम–मऊखास, थाना–मुण्डाली, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–146/2026
अं0धारा–190,191(2),191(3),115(2),
352,351(3),109(1) बी0एन0एस0 व
धारा–7 आपराधिक कानून संशोधन,
अधिनियम
थाना–मुण्डाली, जनपद–मेरठ।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से.....श्री धर्मवीर सिंह पुंडीर, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–29.06.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ प्रमोद व कुलदीप की ओर से मुकदमा अपराध सं0–146/2026, अं0धारा–190,191(2), 191(3),115(2),352,351(3),109(1) बी0एन0एस0 व धारा–7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, थाना–मुण्डाली, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 15.06.2026 को समय 21.15 बजे संबंधित थाने की पुलिस को दौरान चैकिंग वांछित अभियुक्तगण गांव मऊखास पहुंची तो पिन्टू उर्फ प्रमोद व रितिक, जिनका पैसो को लेकर विवाद था, जिनके विरूद्ध पूर्व में मु0अ0सं0–142/2016 व 143/2026

पंजीकृत हैं, को लेकर दोनों पक्षों में विवाद प्रचलित है। दोनों पक्ष व 8–10 अज्ञात लोग आपस में अपने हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से हमला करने लगे एवं पुलिस वालों के सामने दोनों पक्ष ईट के रोडो से एक दूसरे के सिर पर निशाना लगाकर जान से मारने की नीयत से एकराय होकर हमला करने लगे, जिससे अफरा–तफरी का माहौल व्याप्त हो गया तथा अराजकता उत्पन्न हो गयी। इसके बाद पीड़ित थाने आये, जिनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। मौके से दो व्यक्तियों पिन्टू उर्फ प्रमोद व कुलदीप को पकड़ लिया गया। शेष अभियुक्तगण मौके से भाग गये। मौके से एक अदद कट्टा प्लास्टिक का, जिसमें ईट के रोडे व चार डंडे बरामद हुए।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।
- कथित घटना दो पक्षों के मध्य हुई है। किसी भी पक्ष ने एक दूसरे के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है।
- कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं पुलिस द्वारा दर्ज करायी गयी है।
- कथित घटना से पूर्व दो अन्य मुकदमें दोनों पक्षों के विरूद्ध पंजीकृत हैं, जिसमें दवाब बनाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा यह झूठी रिपोर्ट दर्ज की है।
- तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्तगण की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र

के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण की गिरफ्तारी बाद में हुई है, जबकि पुलिस द्वारा पहले उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कथन किया गया है कि कथित घटना का कोई जनता का साक्षी नहीं है, जिस वाहन से उन्हें ले जाना दर्शाया गया है, उसका कोई नम्बर इत्यादि दर्शित नहीं किया गया है।

10. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। मामले में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

11. प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उनके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर डंडो व ईंटों से मारपीट किये जाने के आरोप हैं।

12. कथित घटना में स्वयं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को चोटें आयी है, जिनकी चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उन्हें आयी चोटें साधारण प्रकृति की थी।

13. मौके से एक अदद कट्टा प्लास्टिक का, जिसमें ईट के रोडे व चार डंडे की बरामदगी दर्शायी गयी है, किन्तु कथित बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है।

14. कथित घटना दो पक्षों के मध्य हुए विवाद से संबंधित है, किन्तु किसी भी पक्ष ने एक दूसरे के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है। स्वयं कथित घटना की रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज करायी गयी है। कथित घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। उभयपक्षों के मध्य पूर्व से दो मुकदमों का प्रचलित होना विद्यमान है।

15. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त पिन्टु उर्फ प्रमोद के विरूद्ध निम्न मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नलिखित है–

क्रम सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	84 / 2023	279,427 भा0द0सं0	मुण्डाली
2	143 / 2026	352,351(2),115(2), / 74 बी0एन0एस0	मुण्डाली

16. यद्यपि प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध आपराधिक इतिहास पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु आपराधिक इतिहास मात्र जमानत प्रार्थनापत्र का निरस्त किये जाने का आधार नहीं है।

17. प्रार्थीगण / अभियुक्तगण दिनांक 15.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

18. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थीगण / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पिन्टू उर्फ प्रमोद व कुलदीप द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रत्येक प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000 / – रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. प्रत्येक अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्तगण साक्षियों को डराएगें–धमकाएगें नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेंगे।
5. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 29.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)